रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262287
CG-DL-E-04042025-262287

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 277] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 3, 2025/ चैत्र 13, 1947
No. 277] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 3, 2025/ CHAITRA 13, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2025

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.124.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 की अनुसूची-I में प्ररूप ज के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"**प्ररूप ज**

अनुपालन प्रमाणपत्र

(भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39(4) के अधीन)

मैं (समाधान व्यावसायिक का नाम), जो कि (दिवाला व्यावसायिक एजेंसी का नाम) में नामांकित और बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (रजिस्ट्रीकरण संख्यांक) के साथ रजिस्ट्रीकृत एक दिवाला व्यावसायिक हूं, [कारपोरेट ऋणी का नाम(सी.डी.)] की [कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.)] के लिए समाधान व्यावसायिक हूं।

1क. सी.आई.आर.पी. के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**वर्णन**
1.	सी.डी. का नाम	
2	सी.आई.आर.पी. आरंभ करने की तारीख	
3	आई.आर.पी. नियुक्त करने की तारीख	
4	लोक उद्घोषणा प्रकाशित करने की तारीख	
5	सी.ओ.सी. के गठन की तारीख	
6	सी.ओ.सी. की प्रथम बैठक की तारीख	
7	आर.पी. नियुक्त करने की तारीख	
8	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक नियुक्त करने की तारीख	
9	रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण जारी करने की तारीख(रूचि की अभिव्यक्ति कई बार जारी किए जाने की दशा में, ऐसी सभी तारीखों को विनिर्दिष्ट करें)	
10	पात्र भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची की तारीख	
11	समाधान योजना के आमंत्रण की तारीख	
12	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	
13	समाधान योजना को आर. पी. को प्रस्तुत करने की तारीख	
14	समाधान योजना सी.ओ.सी. के समक्ष रखने की तारीख	
15	सी.ओ.सी. द्वारा समाधान योजना का अनुमोदन करने की तारीख	
16	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष समाधान योजना फाइल करने की तारीख	
17	सी.आई.आर.पी. के 180 दिन समाप्त होने की तारीख	
18	आर.पी. द्वारा फाइल किए गए अनुरोध पर सी.आई.आर.पी. की अवधि बढ़ाने/अपवर्जित करने वाले प्रत्येक आदेश की तारीख	
19	सी.आई.आर.पी. की विस्तारित अवधि की समाप्ति की तारीख	
20	उचित मूल्य	
21	समापन मूल्य	
22	सी.ओ.सी. की आयोजित की गई बैठकों की संख्या	

1ख. (i) क्या समाधान योजना के अनुमोदन के लिए आवेदन सी.आई.आर.पी. के आरंभ से 180 दिन के भीतर किया गया था – **हां/नहीं**

(ii) समाधान योजना के लिए आवेदन फाइल करने के लिए 180 दिन से परे लिए गए दिनों की संख्या _________.

(iii) विलंब के लिए कारण ____________

2. मैं प्रमाणित करता हूं कि –

(i) उक्त समाधान योजना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016(आई.बी.सी./ संहिता), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियमन, 2016(सी.आई.आर.पी. विनियम) के समस्त उपबंधों का पालन करती है और यह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है ।

(ii) समाधान आवेदक(..................................) ने संहिता की धारा 30(1) के अनुसरण में, संहिता की धारा 29क के अधीन समाधान योजना प्रस्तुत करने की अपनी पात्रता की पुष्टि करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत किया है ।

(iii) उक्त समाधान योजना सी.ओ.सी. द्वारा संहिता और सी.आई.आर.पी. विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित की गई है । समाधान योजना, सी.आई.आर.पी. विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट उसकी साध्यता और व्यवहार्यता तथा अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् वित्तीय लेनदारों के(ऐसे मतों की संख्या का वर्णन करें जिनके द्वारा समाधान योजना सी.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित की गई है) प्रतिशत मतदान शेयर द्वारा अनुमोदित की गई है ।

(iv) मतदान, सी.ओ.सी. की तारीख(बैठक की तारीख का कथन करें) की बैठक में आयोजित किया गया, जिसमें सी.ओ.सी. के सभी सदस्य उपस्थित थे ।

या

मैने सी.ओ.सी. के सदस्यों से इलैक्ट्रानिक मतदान प्रणाली द्वारा मतदान करने की ईप्सा की थी जो कि विनियम 26 के अनुसार कम से कम 24 घंटे के लिए खुली रखी गई थी ।

(जो भाग सुसंगत न हो उसे काट दीजिए)

3. सफल समाधान आवेदक से संबंधित ब्यौरे और दस्तावेज़ निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**वर्णन**
1	सफल समाधान आवेदक(एस.आर.ए.) का नाम	
2	एस.आर.ए. के कारबार की प्रकृति	
3	एस.आर.ए. की सी.डी. के साथ संबंध-हैसियत. यदि कोई है	
4	क्या एस.आर.ए., एम.एस.एम. ई.सी.डी. की दशा में, आई.बी.सी. की धारा 240क के अधीन योजना प्रस्तुत करने का पात्र है	
5	एस.आर.ए. के लिए आई.बी.सी. की धारा 29क के अधीन आर.पी. का सम्यक् तत्परता प्रमाणपत्र(कृपया प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

4. सी.आई.आर.पी. और समाधान योजना के ब्यौरे निम्न प्रकार हैः

<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>विशिष्टियां</th><th>वर्णन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या कारपोरेट ऋणी कोई एम.एस.एम.ई. है, यदि हां तो एम.एस.एम.ई. रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की तारीख(कृपया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>सी.डी. का कारबार</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>कुल स्वीकृत दावें(रकम रूपयों में)
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>वर्णन</th><th>मूलधन</th><th>ब्याज और शास्ति, यदि कोई है</th><th>कुल</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>कारपोरेट गारंटी दावे</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>कारपोरेट गारंटी दावों से भिन्न</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

4	समाधान योजना मूल्य (जिसके अंतर्गत दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत, निधियों का संचारण भी है) (भू-संपदा सी.डी. की दशा में, आबंटितियों को दिए गए फ्लैटों का धनीय मूल्य, आदि दें) (कृपया समाधान योजना की प्रति संलग्न करें)	
5	समाधान योजना के पक्ष में सी.ओ.सी. की मतदान प्रतिशतता(%) (कृपया समाधान योजना का अनुमोदन करने वाले कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करें)	

5. समाधान योजना के कार्यान्वयन के ब्यौरे

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**वर्णन**
1	एस.आर.ए. द्वारा दी गई कार्य-निष्पादन गारंटी की रकम(रूपयों में) और उसकी विधिमान्यता(दस्तावेज़ संलग्न करें)	
2	निधियों का स्रोत(संक्षेप में)	
3	समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् सी.डी. की पूंजीगत पुनर्संरचना और प्रबंधन(संक्षेप में, जिसके अंतर्गत एस.आर.ए. के पक्ष में अंतरित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयर धारिता)	
4	योजना की अवधि और कार्यान्वयन(संक्षेप में)	
5	मानिटरिंग समिति के ब्यौरे(संक्षेप में)	
6	समाधान योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख	

6. सी.डी. के वित्तीय लेनदारों की सूची जो सी.ओ.सी. के सदस्य हैं और उनके बीच मतदान शेयर का वितरण निम्नलिखित प्रकार हैः

क्रम सं.	**लेनदार का नाम**	**मतदान शेयर(%)**	**समाधान योजना के लिए मतदान(पक्ष में मतदान/ विसम्मति/ अनुपस्थित)**

7क. वसूलनीय रकम:

क्रम सं,	**विशिष्टियां**	**वर्णन**
1	योजना के अधीन कुल वसूलनीय रकम (भू-संपदा सी.डी. की दशा में, आबंटितियों को दिए गए फ्लैटों का धनीय मूल्य, आदि दें)	
2	उचित मूल्य	
3	समापन मूल्य	
4	उचित मूल्य के मुकाबले वसूलनीय रकम की प्रतिशतता(%)	

5	समापन मूल्य के मुकाबले वसूलनीय रकम की प्रतिशतता(%)	
6	मूल रकम के मुकाबले वसूलनीय रकम की प्रतिशतता(%)	
7	कुल स्वीकृत दावों के मुकाबले वसूलनीय रकम की प्रतिशतता(%)	
8	स्वीकृत कारपोरेट गारंटी दावों से भिन्न के मुकाबले वसूलनीय रकम की प्रतिशतता(%)	

7ख. वसूलनीय रकम क ब्यौरे:

हितधारक का प्रकार	**रकम (रकमें)**				**संदाय अनुसूची**
	दावाकृत रकम	स्वीकृत रकम	योजना के अधीन वसूलनीय रकम	दावाकृत रकम के मुकाबले योजना में वसूली-योग्य रकम (%)	
प्रतिभूत वित्तीय लेनदार -ऐसे लेनदार जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार नहीं है -विसम्मत -अनुपस्थित					
अप्रतिभूत वित्तीय लेनदार -ऐसे लेनदार जिन्हें धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन मतदान करने का अधिकार नहीं है -विसम्मत -अनुपस्थित					
प्रक्रियागत लेनदार					
(I)सरकार					
(II)कर्मकार -पी.एफ. देय -अन्य देय					
(III) कर्मचारी -पी.एफ. देय -अन्य देय					
(IV)अन्य प्रक्रियागत लेनदार					
अन्य ऋण और शोध्य					
शेयरधारक					
कुल					

8.सुसंगत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	**अनुमोदन की प्रकृति**	**लागू विधि का नाम**	**उस प्राधिकारी का नाम जो अनुमोदन प्रदान करेगा**	**कब प्राप्त किया जाना है**
1				
2				

9. ए.ए. द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन के पश्चात् संबंधित पक्षकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

अगला कदम	**पक्षकार का नाम**	**समय-सीमा**

10. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 79(2)(ग) के अधीन अग्रनीत आयकर हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हैं।

11. विनियम 31क के अधीन बोर्ड को संदेय विनियामक फीस की रकम(0.25%) [………] और उक्त आशय का शपथपत्र एस.आर.ए. द्वारा समाधान व्यावसायिक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

12. अधिमानी, न्यून-मूल्यांकित, कपटपूर्ण और अतिशय संव्यवहारों की प्रास्थिति तथा समाधान योजना में इन पर कैसे कार्यवाही की जाती है, यदि कोई है

क्रम सं.	**संव्यवहार का प्रकार**	**रकम (रूपए)**	**न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष फाइल करने की तारीख**	**न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश की तारीख**	**आदेश का संक्षिप्त विवरण**	**समाधान योजना में इस पर किस प्रकार कार्यवाही की गई है**
1	धारा 43 के अधीन अधिमानी संव्यवहार					
2	धारा 45 के अधीन न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार					
3	धारा 50 के अधीन अतिशय उधार संव्यवहार					
4	धारा 66 के अधीन कपटपूर्ण संव्यवहार					
5	पफे संव्यवहारों का संयोजन					
	कुल					

13. यदि सी.डी. के निलंबित निदेशक/प्रवर्तक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत की गई है, निलंबित निदेशकों के विरुद्ध कोई पफे आवेदन लंबित हैं, यदि हां तो उसके ब्यौरे।

14. कारपोरेट ऋणी के विरुद्ध लंबित अन्य आई. ए. के ब्यौरेः

फाइलिंग सं.	आवेदन की तारीख	आवेदक का(के) नाम	प्रत्यर्थी(प्रत्यर्थियों) का(के) नाम	अंतर्लित रकम, यदि कोई है	अंतर्वलित मुद्दा(संक्षेप में)

15. अन्य अनुपालन

क. समिति ने एक ऐसी योजना को अनुमोदित किया है जिसमें विनियम 39ख के अधीन निम्न प्रकार अंशदान के लिए उपबंध किया गया हैः

(i) प्राक्कलित समापन लागतः ....रुपए

(ii) प्राक्कलित उपलब्ध तरल आस्तियाः ....रुपए

(iii) अंशदान जो किए जाने अपेक्षित हैः ....रुपए

(iv) वित्तीय लेनदार-वार अंशदान निम्न प्रकार हैः

क्रम सं.	वित्तीय लेनदार का नाम	अंशदान की रकम(रुपए)
1		
2		
.....		
कुल		

ख. समिति ने विनियम 39ग के अधीन निम्न प्रकार सिफारिश की हैः

(i) कारपोरेट ऋणी का चालू समुत्थान के रूप में विक्रयः **हां/नहीं**

(ii) कारपोरेट ऋणी के कारबार का चालू समुत्थान के रूप में विक्रयः **हां/नहीं**

ग. समिति ने, समाधान व्यावसायिक के परामर्श से, विनियम 39घ के अधीन समापन अवधि के दौरान परिसमापक को संदेय फीस (...........रुपए की रकम) नियत की है।

16. क्या समाधान योजना किसी आकस्मिकता/शर्त के अध्यधीन है - **हां/नहीं**

17. समाधान योजना, (संहिता की धारा 12 के निबंधनानुसार) सी.आई.आर.पी. प्रारंभ होने के ....दिनों पश्चात् फाइल की गई है।

घोषणा

मैं(समाधान व्यावसायिक का नाम) यह प्रमाणित करता हूं कि इस प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नामः

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पताः

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत ईमेल पताः

.

तारीखः

स्थानः

उपाबंध

संहिता और विनियमों के अधीन उपबंधों के अनुपालन की बाबत घोषणाएं

मैं (समाधान व्यावसायिक का नाम) प्रमाणित करता हूं कि -

(I) उक्त समाधान योजना, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता), भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (सी.आई.आर.पी. विनियम) के उपबंधों का, जिसके अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के अनुसार उपबंध और विनियम भी है, अनुपालन करती हैः

संहिता की धारा/ विनियम संख्यांक	**समाधान योजना की बाबत अपेक्षा**	**अनुपालन (हां/नहीं)**	**समाधान योजना का सुसंगत खंड**
धारा 25(2)(ज)	समाधान आवेदक. सी.डी. के कारबार की जटिलता और प्रचालन के पैमाने को ध्यान में रखते हुए, सी.ओ.सी. द्वारा अनुमोदित मानदंड को पूरा करता है		
धारा 29क	समाधान आवेदक, समाधान व्यावसायिक की अंतिम सूची या न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश, यदि कोई है, के अनुसार समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र है		
धारा 30(1)	समाधान आवेदक ने यह कथन करते हुए शपथपत्र फाइल किया है कि वह संहिता के अनुसार पात्र है		
धारा 30(2)	समाधान योजना – (क) में दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का भुगतान करने का उपबंध है (ख) में प्रक्रियागत लेनदारों को संदाय करने का उपबंध है (ग)में ऐसे वित्तीय लेनदारों को, जिन्होंने समाधान योजना के पक्ष में मतदान नहीं किया था,संदाय करने का उपबंध है (घ) में कारपोरेट ऋणी के कामकाज के प्रबंधन के लिए उपबंध है (ङ)में समाधान योजना के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए उपबंध है (च) तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करती है		
धारा 30(4)	समाधान योजना (क) सी.ओ.सी. के अनुसार साध्य और व्यवहार्य है (ख) सी.ओ.सी. द्वारा 66 प्रतिशत मतदान शेयर से अनुमोदित की गई है		
धारा 31(1)	समाधान योजना में, सी.ओ.सी. के अनुसार, उसकी प्रभावी कार्यान्वयन योजना के लिए उपबंध हैं		

विनियम 38(1)	समाधान योजना के अधीन प्रक्रियागत लेनदारों को देय रकम को वित्तीय लेनदारों को भुगतान करने के मुकाबले प्राथमिकता दी गई है		
विनियम 38(1क)	समाधान योजना में यह कथन शामिल है कि उसने सभी हितधारकों के हितों के संबंध में क्या कार्यवाही की है		
विनियम 38(1ख)	न तो समाधान आवेदक और न ही उससे संबद्ध कोई पक्षकार, संहिता के अधीन अनुमोदित किसी समाधान योजना को कार्यान्वित करने में असफल रहा है या उसके कार्यान्वयन को असफल करने में कोई योगदान किया है । यदि लागू होता है तो समाधान आवेदक ने ऐसे किसी अकार्यान्वयन के ब्यौरे देते हुए कथन प्रस्तुत किया है ।		
विनियम 38(2)	समाधान योजना में निम्नलिखित के लिए उपबंध हैः (क)योजना की अवधि और उसकी कार्यान्वयन अनुसूची (ख) उसकी अवधि के दौरान कारपोरेट ऋणी के कारबार के प्रबंधन और नियंत्रण (ग) उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए पर्याप्त साधन		
विनियम 38(3)	समाधान योजना में प्रदर्शित किया गया है- (क)उसमें चूक के कारण को दूर किया है (ख) यह साध्य और व्यवहार्य है (ग)उसमें इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपबंध हैं (घ) इसमें अपेक्षित अनुमोदनों और उसके लिए समय-सारणी के लिए उपबंध हैं (ङ) समाधान आवेदक के पास समाधान योजना को कार्यान्वित करने का सामर्थ्य है ।		
विनियम 39(2)	क्या आर.पी. ने उसके द्वारा पाए गए, निकाले गए और अवधारित संव्यवहारों की बाबत आवेदन फाइल किए हैं?		
विनियम 39(4)	विनियम 36ख के उप-विनियम (4क) में यथा-निर्दिष्ट, प्राप्त की गई कार्य-निष्पादन प्रतिभूति के ब्यौरे दें ।		

(II) समाधान योजना तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं करती है ।

(III) प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

(हस्ताक्षर)

समाधान व्यावसायिक का नामः

आई.पी. रजिस्ट्रीकरण सं.

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पताः

बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत ईमेल पताः

तारीखः

स्थानः ”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./10/2025-26]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 90, तारीख 3 फरवरी, 2025 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी.एन./आर.ई.जी.122, तारीख 3 फरवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd April, 2025

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2025.

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG124.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, in Schedule -I, for Form H, the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM H**

COMPLIANCE CERTIFICATE

(Under Regulation 39(4) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

I, [*Name of the resolution professional*], an insolvency professional enrolled with [*name of insolvency professional agency*] and registered with the Board with registration number [*registration number*], am the resolution professional for the corporate insolvency resolution process (CIRP) of [*name of the corporate debtor (CD)*].

1A. The details of the CIRP are as under:

Sl. No.	Particulars	Description
1	Name of the CD	
2	Date of Initiation of CIRP	
3	Date of Appointment of IRP	
4	Date of Publication of Public Announcement	
5	Date of Constitution of CoC	
6	Date of First Meeting of CoC	
7	Date of Appointment of RP	
8	Date of Appointment of Registered Valuers	
9	Date of Issue of Invitation for EoI (In case of multiple issuance of EoI, please specify all such dates)	
10	Date of Final List of Eligible Prospective Resolution Applicants	
11	Date of Invitation of Resolution Plan	
12	Last Date of Submission of Resolution Plan	
13	Date of submission of Resolution Plan to the RP	

14	Date of placing the Resolution Plan before the CoC	
15	Date of Approval of Resolution Plan by CoC	
16	Date of Filing of Resolution Plan with Adjudicating Authority	
17	Date of Expiry of 180 days of CIRP	
18	Date of each order extending/excluding the period of CIRP on request filed by RP	
19	Date of Expiry of Extended Period of CIRP	
20	Fair Value	
21	Liquidation value	
22	Number of Meetings of CoC held	

1B. (i) Whether Application for approval of Resolution Plan filed within 180 days of CIRP initiation - **Y/N**

(ii) Number of days beyond 180 days taken for filing application for resolution plan_____

(iii) Reasons for delay ____________

2. I hereby certify that-

(i) the said Resolution Plan complies with all the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC/Code), the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (CIRP Regulations) and does not contravene any of the provisions of the law for the time being in force.

(ii) the Resolution Applicant (………………………………..) has submitted an affidavit pursuant to section 30(1) of the Code confirming its eligibility under section 29A of the Code to submit resolution plan. The contents of the said affidavit are in order.

(iii) the said Resolution Plan has been approved by the CoC in accordance with the provisions of the Code and the CIRP Regulations made thereunder. The Resolution Plan has been approved by [*state the number of votes by which Resolution Plan was approved by CoC*] % of voting share of financial creditors after considering its feasibility and viability and other requirements specified by the CIRP Regulations.

(iv) The voting was held in the meeting of the CoC on [*state the date of meeting*] where all the members of the CoC were present.

or

I sought vote of members of the CoC by electronic voting system which was kept open at least for 24 hours as per regulation 26.

[strike off the part that is not relevant]

3. The details and documents related to the successful resolution applicant are as under:

Sl. No.	Particulars	Description
1.	Name of Successful Resolution Applicant (SRA)	
2.	Nature of Business of SRA	
3.	Relationship status of SRA with CD, if any	

4.	Whether SRA is eligible to submit plan u/s 240A of IBC in case of MSME CD	
5.	Due Diligence Certificate of the RP u/s 29A of IBC for the SRA (pls attach copy of certificate)	

4. The details of CIRP, and resolution plan are as under:

<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Description</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Whether Corporate Debtor is an MSME, if so, Date of obtaining MSME registration (pls attach copy of registration certificate)</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Business of the CD)</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Total admitted claims (Amount in Rs.)
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Description</th><th>Principal</th><th>Interest and penalty, if any</th><th>Total</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Corporate Guarantee claims</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Other than Corporate Guarantee claims</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Resolution Plan Value
(including insolvency resolution process cost, infusion of funds etc)
(In the case of real estate CDs, provide the monetary value of flats etc. given to allottees)
(pls attach copy of Resolution plan)</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Voting percentage (%) of CoC in favour of Resolution Plan
(pls attach copy of minutes approving resolution plan)</td><td></td></tr>
</table>

5. Details of implementation of resolution plan:

Sl. No.	Particulars	Description
1.	Amount of Performance Guarantee furnished by SRA (in Rs.) and its validity (attach document)	
2.	Source of funds (in brief)	
3.	Capital restructuring and management of CD post approval of resolution plan (**in brief including shareholding proposed to be transferred in favour of SRA**)	
4.	Term and implementation of plan (in brief)	
5.	Details of monitoring committee (in brief)	
6.	Effective date of resolution plan implementation	

6. The list of financial creditors of the CD being members of the CoC and distribution of voting share among them is as under:

Sl. No.	Name of Creditor	Voting Share (%)	Voting for Resolution Plan (Voted for / Dissented / Abstained)

7A. Realisable amount:

Sl. No.	Particulars	Description
1.	Total Realisable amount under the plan *(In case of real estate CDs, provide the monetary value of flats etc. given to allottees)*	
2.	Fair Value	
3.	Liquidation Value	
4.	Percentage (%) of realisable amount to Fair Value	
5.	Percentage (%) of realisable amount to Liquidation Value	
6.	Percentage (%) of realisable amount to Principal amount	
7.	Percentage (%) of realisable amount to Total admitted claims	
8.	Percentage (%) of realisable amount to Other than admitted Corporate Guarantee claims	

7B. Details of Realisable amount:

(Amount In Rupees)

Stakeholder Type	Amount(s)				Payment schedule
	Amount Claimed	Amount Admitted	Realisable amount under the plan	Amount realizable in plan to amount claimed (%)	
Secured Financial Creditors - Creditors not having a right to vote under sub-section (2) of section 21 - Dissenting - Assenting					
Unsecured Financial Creditors -Creditors not having a right to vote under sub-section (2) of section 21					

- Dissenting - Assenting					
Operational Creditors					
(i) Government					
(ii) Workmen - PF dues - Other dues					
(iii) Employees - PF dues - Other dues					
(iv)Other Operational creditors					
Other Debts and Dues					
Shareholders					
Total					

8. The time frame proposed for obtaining relevant approvals is as under:

Sl. No.	**Nature of Approval**	**Name of applicable law**	**Name of Authority who will grant Approval**	**When to be obtained**
1				
2				

9. Steps to be taken by the concerned parties post approval of resolution plan by AA:

Next Step(s)	**Name of Party**	**Timeline**

10. Details of Income Tax losses carry forward under Section 79(2)(c) of Income Tax Act, 1961, if any.

11. Amount of Regulatory fee payable (0.25%) to the Board under Regulation 31A [………] and affidavit to the said effect is submitted by the SRA to the Resolution Professional.

12. Status of Preferential, Undervalued, Fraudulent and Extortionate transactions and how these are dealt in the resolution plan, if any

Sl. No.	**Type of Transaction**	**Amount (Rs.)**	**Date of Filing with Adjudicating Authority**	**Date of Order of the Adjudicating Authority**	**Brief of the Order**	**How it is dealt in resolution plan**
1	Preferential					

	transactions u/s 43					
2	Undervalued transactions u/s 45					
3	Extortionate credit transactions u/s 50					
4	Fraudulent transactions u/s 66					
5.	Combination of PUFE transactions					
	Total					

13. If resolution plan submitted by suspended director/ promoter of CD, any PUFE applications against the suspended directors are pending, if so the details of the same.

14. Details of other IAs pending against the Corporate Debtor:

Filing No.	**Date of Application**	**Applicant(s) name**	**Respondent(s) name**	**Amount Involved, if any**	**Issue involved (in brief)**

15. Other compliances

a. The committee has approved a plan providing for contribution under regulation 39B as under:

(i) Estimated liquidation cost: Rs…………..

(ii) Estimated liquid assets available: Rs…………..

(iii) Contributions required to be made: Rs………….

(iv) Financial creditor wise contribution is as under:

Sl. No.	**Name of financial creditor**	**Amount to be contributed (Rs.)**
1		
2		
….		
Total		

b. The committee has recommended under regulation 39C as under:

(i) Sale of corporate debtor as a going concern: **Yes / No**

(ii) Sale of business of corporate debtor as a going concern: **Yes / No**

c. The committee has fixed, in consultation with the resolution professional, the fee payable [Amount in Rs……] to the liquidator during the liquidation period under regulation 39D.

16. Whether Resolution Plan is subject to any contingency/condition - **Y/N** .

17. The Resolution Plan has been filed ______ days after the commencement of CIRP (in terms of Section 12 of the Code).

Declaration

I (Name of Resolution Professional) hereby certify that that the contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

Name of the Resolution Professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:

Place:

Annexure

<u>Declarations with respect to compliances of provisions under Code and Regulations</u>

I (*Name of Resolution Professional*) hereby certify that-

(i) the said Resolution Plan complies with all the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (Code), the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (CIRP Regulations) including the provisions and Regulations as per the table below:

Section of the Code/ Regulation No.	**Requirement with respect to Resolution Plan**	**Compliance (Y/N)**	**Relevant clause of resolution plan**
Section 25(2)(h)	The Resolution Applicant meets the criteria approved by the CoC having regard to the complexity and scale of operations of business of the CD		
Section 29A	The Resolution Applicant is eligible to submit resolution plan as per final list of Resolution Professional or Order, if any, of the Adjudicating Authority		
Section 30(1)	The Resolution Applicant has submitted an affidavit stating that it is eligible as per Code		
Section 30(2)	The Resolution Plan- (a) provides for the payment of insolvency resolution process costs (b) provides for the payment to the operational creditors (c) provides for payment to the financial creditors who did not vote in favour of the resolution plan (d) provides for the management of the affairs		

	of the corporate debtor (e) provides for the implementation and supervision of the resolution plan (f) does not contravene any of the provisions of the law for the time being in force		
Section 30(4)	The Resolution Plan (a) is feasible and viable, according to the CoC (b) has been approved by the CoC with 66% voting share		
Section 31(1)	The Resolution Plan has provisions for its effective implementation plan, according to the CoC		
Regulation 38 (1)	The amount due to the operational creditors under the resolution plan has been given priority in payment over financial creditors		
Regulation 38(1A)	The resolution plan includes a statement as to how it has dealt with the interests of all stakeholders		
Regulation 38(1B)	Neither the Resolution Applicant nor any of its related parties has failed to implement or contributed to the failure of implementation of any resolution plan approved under the Code. If applicable, the Resolution Applicant has submitted a statement giving details of any such non-implementation.		
Regulation 38(2)	The Resolution Plan provides: (a) the term of the plan and its implementation schedule (b) for the management and control of the business of the corporate debtor during its term (c) adequate means for supervising its implementation		
Regulation 38(3)	The resolution plan demonstrates that – (a) it addresses the cause of default (b) it is feasible and viable (c) it has provisions for its effective implementation (d) it has provisions for approvals required and the timeline for the same (e) the resolution applicant has the capability to implement the resolution plan		
Regulation 39(2)	Whether the RP has filed applications in respect of transactions observed, found or determined by him?		
Regulation 39(4)	Provide details of performance security received, as referred to in sub-regulation (4A) of regulation 36B)		

(ii) the resolution plan does not contravene any of the provisions of the law for the time being in force.

(iii) that the contents of this certificate are true and correct to the best of my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

(Signature)

Name of the Resolution Professional:

IP Registration No:

Address as registered with the Board:

Email id as registered with the Board:

Date:

Place: ”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./10/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2024-25/GN/REG122, dated the 3rd February 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 90 on 3rd February 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.04.04 21:39:53 +05'30'